



NILAMBER-PITAMBER UNIVERSITY

MEDININAGAR, PALAMU - 822102

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची के पत्रांक : 5/वि1-79/2014-1341 दिनांक 09.05.2017 के आलोक में नी0पी0 विश्वविद्यालय अन्तर्गत निम्नांकित बी0एड0/एम0एड0/बी0पी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 (तीन सत्र), एम0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-19 तथा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए उल्लेखित शर्तों के साथ वित्तीय भार रहित **संबंधन दीर्घाकरण** की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक / दिनांक
1.	S.B. Pandey Sanatan TTC, Rehla, Palamu	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31673 दिनांक 15.05.2015
2.	Sidhnath B.Ed. College, Sanda, Japla, Palamu	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 32052 दिनांक 24.05.2015
3.	Pandit Jagnarayan Tripathy B.Ed. College, Daltonganj	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31678 दिनांक 15.05.2015
4.	Jyoti Prakash Mahila B.Ed. College, Daltonganj	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31940 दिनांक 23.05.2015
5.	GLA College, Daltonganj	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 34593 दिनांक 07.08.2015
6.	Ramchandra Chandravanshi College of Physical Education, Nawadih Kala, Bishrampur, Palamu	बी0पी0एड0	2017-19	पत्रांक 32694 दिनांक 31.05.2015
7.	Kumaresh International B.Ed. College, Rajwadih, Palamu	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31753 दिनांक 20.05.2015
8.	Sahdeo Chandravanshi B.Ed. College, Nawadhi Kala, Bishrampur	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 32684 दिनांक 31.05.2015
9.	Kuwar Pirthi nath Singh B.Ed. College, Kinni, Chainpur, Palamu	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31979 दिनांक 23.05.2015
10.	Elit Public B.Ed. College, Chyaki, Daltonganj	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 49356 दिनांक 23.09.2016
11.	Tetri Chandravanshi College of Education, Pindra, Garhwa	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 32687 दिनांक 31.05.2015
12.	Tetri Chandravanshi College of Education, (M.Ed.), Pindra, Garhwa	एम0एड0	2017-19	पत्रांक 50716 दिनांक 29.12.2016

17/5/17

13.	Gopi Nath Singh B.Ed. College, Latdag, Meral, Garhwa	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31682 दिनांक 31.05.2015
14.	R.K.V.S. Sansthan, Sonpurwa, Garhwa	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 31962 दिनांक 23.05.2015
15.	Indira Singh B.Ed. TTC, Garhwa	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 32691 दिनांक 31.05.2015
16.	Dinesh College of Education, Farthiya, Garhwa	बी0एड0	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक 32658 दिनांक 31.05.2015

शर्तें -

(क) माँ वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या - WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका-71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

- (i) छात्रों के नामांकन की पात्रता
 - (ii) परीक्षा का संचालन
 - (iii) विहित कोर्स की पूर्णता की प्रक्रिया
 - (iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन
- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गए कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न।
- (ग) AISHE Portal पर Date को Upload करना।
- (घ) IQAC का गठन।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0/-
कुलसचिव
नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

Date - ...17/5/2017

Memo No. - NPU/R/.....294...../17

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची।
2. अध्यक्ष, शिक्षा संकाय, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
3. परीक्षा नियंत्रक, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
4. जन सूचना पदाधिकारी, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
5. नोडल पदाधिकारी, AISHE, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
6. प्राचार्य, सभी संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ।

Rkumar
17 5 17
कुलसचिव
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू

Anuprash

विद्यालय का नाम : सिद्धनाथ जी.एस. कॉलेज, खंडा, जयपुर

- (i) डा. विवेका कुशक, सहायक प्राध्यापक, खंडा, जयपुर। जी.पी. वि.एच.सि. मेडिकीनल
- (ii) डा. ए.के. शर्मा, निदेशक प्राध्यापक, खंडा, जयपुर। जी.पी. वि.एच.सि. मेडिकीनल
- (iii) डा. ए.के. शर्मा, कुलपति, खंडा, जयपुर। जी.पी. वि.एच.सि. मेडिकीनल

प्रतिवेदन

1. महाविद्यालय का नाम : सिद्धनाथ जी.एस. कॉलेज, खंडा, जयपुर
2. निरीक्षण की तिथि : 15/2/17
3. (क) संबंधन का स्तर जिसका दीर्घीकरण करना है : जी.एस. [स्नातक]
(ख) विषयों तथा स्थानों की विवरणी जिसमें संबंधन / संबंधन दीर्घीकरण : जी.एस. 100 बीट (02 यूनिट)
4. किय सत्र से दीर्घीकरण करना है : 2017-2019 सेमीनर वर्कों के लिए
(2017-19, 2018-20 तथा 2019-21)

वर्तमान स्थिति :

1. संलग्न आवेदन-पत्र की सभी प्रतियों सही हैं
यदि कुछ प्रतियाँ गलत हो तो उनका विवरण दें
2. (क) आवेदन पत्र के साथ सभी बांथित अनुलग्नक एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र संलग्न है एवं
(ख) शपथ पत्र की कड़िकाएँ सही हैं
3. अगर मामला किसी पाठ्यक्रम के संबंधन दीर्घीकरण का हो तो पिछले निरीक्षण में विहित शर्तों जिनका अनुपालन करना तथा शर्त :

(i) सुरक्षा कोष : जमा पूर्ति की स्थिति अभिव्यक्ति

(ii) भूमि : 2.00 का

(iii) भवन : N.C.F.E के मानक के अनुसार निर्मित

(iv) शिक्षक : 13+1 = 14

(v) शिक्षकेत्तर कर्मी : 07

(vi) पुस्तकों के संदर्भ में : 3197 पत्रावली

(vii) उपकरणों के संदर्भ में : 416 पत्रावली शिक्षकों के 3197 पत्रावली

(viii) शिक्षार्थियों से संदर्भित : वर्तमान सत्र में नामांकित नहीं, 2016-18 में 100 बीट पर नामांकित।

(ix) परीक्षाफल से संदर्भित : 400 पर

(x) खेल-कूद के मैदान : उपलब्ध, पर सुधुर्जित नहीं।

(xi) पीने का पानी से संदर्भित : सामान्य पेयजल उपलब्ध, मिनाल/एचएल पेयजल की

(xii) कॉमन रूम : उपलब्ध, पर अन्य सुविधाएँ कीरित उपलब्ध नहीं।

(xiii) शौचालय : उपलब्ध, पर कॉमन रूम में शौचालय की आवश्यकता

- (xiv) कॉलेज कोड बैंक खाता बैंक का नाम दिनांक जमा राशि
 33976508883 SBI Huzarabad 7/2/17 1,45864=00
- (xv) अनुसूची के संदर्भ में 'प्रमाणित' लिखें
- (xvi) शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतनादि अनुदान के संदर्भ में बैंक के बचपत्र ले
- (xvii) सरकार की आरक्षण नीति के अनुपालन के संदर्भ में आरक्षण नीति के अनुपालन के निर्देशों 2144-42 के तहत
- (xviii) शिक्षकों की योग्यता के संदर्भ में एम. एड.
- (xix) शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में प्रबंधन प्रतिनिधि द्वारा, विभागाध्यक्ष के माध्यम से
- (xx) शारीरिकता के संदर्भ में शारीरिकता का परीक्षण नहीं।
- (xxi) प्रयोगशाला के संदर्भ में प्रयोगशाला के अंतर्गत
- (xxii) पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रमों के संदर्भ में :
- (xxiii) अन्य शर्तें : राज्यपाल महोदय के पत्रांक R.O.-1/2016/3253(अनु.)/ए.ए. सी.डी. दिनांक 10/12/16 के द्वारा अधिसूचित परिनिर्देशों के आशेष में

अनुशंसार्थ : निम्न शर्तों के अधीन संस्थान को मात्र 2017-19 से तीन सत्रों के लिए (2018-20 एवं 2019-21) के निम्न अध्यापक संबंधन दीर्घकाल की अनुमति की जाती है।

नयी शर्तें जो प्रावधानित की जाए :

- (i) संलग्न शपथ-पत्र के अंतर्गत शिक्षकों, कर्मचारियों के प्रविष्टिपत्रों की कथिती एवम् उनके प्रविष्टि पत्रों में जमा कर अतिरिक्त।
- (ii) विधिवत शारीरिकता का परीक्षण द्वारा अतिरिक्त दिखा जा लेवे, इसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- (iii) शपथ-पत्र तथा संबंधित परिनिर्देशों के अंतर्गत महाविद्यालय के लिए NCTE, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के समस्त नियमों, विनियमों तथा परिनिर्देशों का अनुपालन बंधनकारी होगा।

निरीक्षकों के हस्ताक्षर

शिक्षकों, कर्मचारियों एवं शिक्षार्थियों के लिए महाविद्यालय में वर्तमान एव से पूर्वतः कायो सिद्धित उपस्थिति प्रणाली लागू हो।

- (1) डा० राकेश कुमार, संस्थाध्यक्ष, छात्र कल्याण नी.पी. विश्ववि. 12/2/17
- (2) डा० एन. के. तिवारी, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र नी.पी. विश्ववि.
- (3) डा० की. के. गुप्ता, कुलावुध्याध्यक्ष, नी.पी. विश्ववि. मेडिकी शाखा 28/2/17

समान्य स्तर के महाविद्यालयों के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को संवृद्धता प्रदान / संवृद्धता दीर्घीकरण हेतु एक स्तरीय
द्वि-परसूच्यो 16/86-1096-जीएएस (1) दिनांक 19.04.86 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित)

रिश्दनाथ जी.एस. कॉलेज, सुपडा, गुजरात

1. संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित है। हाँ / नहीं
2. विहित आवेदन प्रपत्र पर निम्नांकित की सहमति प्राप्त है :-
(क) प्रबंधन समिति के अधिकृत अधिकारी हाँ / नहीं
(ख) अभिप्रेत के दो सदस्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है हाँ / नहीं
3. विहित प्रपत्र में सारी प्रविष्टियाँ तथा अनुलग्नक है हाँ / नहीं
4. विहित आवेदन पत्र के साथ नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र संलग्न है हाँ / नहीं
5. जिन पाठ्यक्रमों का संबंधन / संबंधन दीर्घीकरण प्राथित है, उनकी कार्यतालिका संलग्न है हाँ / नहीं
6. आवेदित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का औचित्य स्पष्ट है हाँ / नहीं
7. संस्थान को 5 एकड़ (शहरी क्षेत्र) / 10 एकड़ (ग्रामिण क्षेत्र) के ऊपर वैधानिक स्वामित्व है हाँ / नहीं
8. वैधानिक स्वामित्व है, जिन विषयों के संबंधन के लिए आवेदन दिया गया है उस स्तर एवं विषयों में हाँ / नहीं
9. कोई शिक्षार्थी नामांकित नहीं है : हाँ / नहीं
10. संस्थान में प्राथित पाठ्यक्रमों के पठन-पाठन के लिए निम्नांकित पर्याप्त है -
(क) कक्षा-कक्षा - हाँ / नहीं
(ख) प्रयोगशाला - हाँ / नहीं
(ग) पुस्तक - हाँ / नहीं
(घ) उपस्कर - हाँ / नहीं
(ङ) प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त उपकरण, गैस, पानी एवं राशि - हाँ / नहीं
11. स्नातक पास कक्षाओं के लिए प्रति संकाय पचास हजार रुपये तथा प्रत्येक प्रतिष्ठा विषयों (आवेदित) के लिए दस हजार रुपये पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए अलग से जमा है हाँ / नहीं
12. विज्ञान विषयों के प्रयोगशालाओं के लिए अलग कम से कम तीस हजार रुपये तथा हर प्रतिष्ठा विषयों के प्रायोगिक कक्षाओं के लिए विषयवार दस हजार रुपये संस्थान के सुरक्षा कोष में जमा है हाँ / नहीं
13. संस्थान का विश्वविद्यालय के एक संकाय के लिए दो लाख पचास हजार रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त संकाय के लिए अतिरिक्त एक लाख पचास हजार रुपये जमा है (मानवीकित तथा समाज विज्ञान संकाय को मिलाकर एक ही संकाय माना जाए) हाँ / नहीं
14. संस्थान के पास पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपस्कर, भवन मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए कम से कम इतनी राशि उपलब्ध है जिससे कम से कम पाँच वर्षों तक उन पर आवर्तक खर्च किया जा सके हाँ / नहीं
15. किसी एक संकाय के प्रथम बार संबंधन हेतु निरीक्षण शुल्क 1000/- संबंधन दीर्घीकरण के लिए 900/- जमा किया गया है हाँ / नहीं
16. संस्थान के उपयोग के लिए भूमि तथा भवन के लिए स्वामित्व संबंधित निम्नांकित अभिलेख है :-
(क) ट्रस्ट डीड या टाईटिल डीड की अभिप्रमाणित प्रति - हाँ / नहीं
(ख) रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त "नन इनकम्प्लेशेज-सर्टिफिकेट" - हाँ / नहीं
(ग) भूमि राजस्व की अद्यतन रसीद - हाँ / नहीं

17. शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा

(क) प्राथमिकता योग्यता धारण किया जाता है -

(ख) कर्मियों की नियुक्ति खुले विज्ञापन एवं आरक्षण नियमावली के आधार पर की गई है

(ग) कर्मियों को वेतन भुगतान नियमित रूप से बैंक के माध्यम से होता है

(घ) कर्मियों की अविव्यक्ति बैंक खाते में जमा किया जाता है - *नहीं*

(ङ) विषयवार कार्य तालिका के अनुसार शिक्षक नियुक्त है

18. विधिवत गठित शारीरिक निकाय है *नहीं*

19. निम्नांकित प्रतिवेदन सदाबद्ध है -

(क) संस्थान के निरीक्षण के लिए नियुक्त निरीक्षकों का -

(ख) परिचालन संबंधन समिति का -

(ग) विद्वत परिषद का -

(घ) अभिषेक का -

(ङ) अधिषेक का -

(व) कुल सचिव द्वारा अग्रसारित -

किसी प्राधिकार के घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित -

20. संस्थान किन-किन शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है *क्रि. 17 (अ, डी) तथा 18*

21. किन शर्तों का शिथिलीकरण किया जा सकता है *खंड 17-18 के अलावा क्रि. 17 (अ, डी) तथा 18 का*

22. संबंधन / संबंधन दीर्घीकरण

अकादमिक सत्र (Academic Session) के लिए निम्नांकित शर्तों / बिना शर्त के निम्नांकित विषयों में उसके

सामने उल्लिखित स्थानों के लिए दिया जा सकता है *2017-19 से 2019-21 तक संबंधन की शर्तों के बिना*

23. संबंधन / संबंधन दीर्घीकरण अकादमिक सत्र (Academic Session) के लिए निम्नांकित कारणों से नहीं दिया जा सकता है -

निरीक्षण दल के सदस्यों का हस्ताक्षर

(i) *R. Kumar*

(ii) *Ne*

(iii) *वर्तमान*

विश्वविद्यालय के कार्यालय सहायक का हस्ताक्षर

28/2/17